मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०१७

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

धारा ९ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) की धारा ९ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

> "(३) उपधारा (२) के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा के होते हुए भी, ३१ मार्च, २०१७ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, ऊर्जा विभाग की कंपनियों के वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के अधीन उधारों को, राज्य की शुद्ध उधार लेने की सामान्य अनुज्ञेय अधिकतम सीमा के विरुद्ध संगणित नहीं किया जाएगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनी के वित्तीय परिवर्तन हेतु उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) को कार्यान्वित किया है. योजना का उद्देश्य राज्य के डिस्कॉम की परिचालन तथा वित्तीय दक्षता में सुधार करना है. योजना के अन्तर्गत, राज्य से ३० सितम्बर, २०१५ तक के डिस्कॉम ऋणों का अधिग्रहण किए जाने की अपेक्षा की जाती है. राज्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद २९३ (३) के अन्तर्गत ऐसी निधियां उधार लेने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करेगा जिसकी गणना वर्ष २०१६-१७ में राज्य की सामान्य राजकोषीय घाटे की सीमा के अन्तर्गत नहीं की जा सकेगी.

२. राज्य ने इस योजना में सम्मिलित होने का विनिश्चय किया है और ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए हैं. भारत सरकार द्वारा राज्य को इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण उधार लेने की अनुमति प्रदान की गई है.

३. अतएव, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) की धारा ९ में एक नई उपधारा (३) को जोड़ा जाना प्रस्तावित है.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २१ मार्च, २०१७

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.